भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

आतारांकित प्रश्न संख्या-555

दिनांक 25 जून, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: अत्यधिक मछली पकड़ने पर रोक लगाने हेतु कदम

555. श्री एन के प्रेमचंद्रन:

क्या मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अत्यधिक मछली पकड़ने की समस्या का समाधान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का मछली पकड़ने हेतु अवसंरचना सुविधा में सुधार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का समुद्र तटीय क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए अधिक सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक परिणाम शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का समुद्री मछली पकड़ने के उप-क्षेत्र में अधिक मूल्यवान परिसंपत्ति बेस विकसित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का इन हितधारकों के मध्य बेहतर इक्विटी प्रदान करने हेतु एक नई प्रणाली आरंभ करने का विचार है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चंद्र सारंगी)

(क) हमारे न्यायिक जल में उपलब्ध मत्स्य संसाधनों की क्षमता का समय-समय पर गठित विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से आवधिक पुनरीक्षण किया जाता है। विशेषज्ञों का पिछला ऐसा 'वर्किंग ग्रुप' 24 अगस्त 2017 को गठित किया गया था, जिसका उद्देश भारत के प्रभुत्व जल-क्षेत्रों की विभिन्न गहराईयों और क्षेत्रों मे सतत रूप से प्राप्त किये जा सकने हेतु उपलब्ध संभावित मत्स्य संसाधनों के पुन: सत्यापन तथा अतिरिक्त समुद्री मत्स्य क्षमता का अनुमान लगाना था। वर्किंग ग्रुप ने 26.9.2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भारतीय ई.ई.जेड. की संभावित उपज 5.31 मिलियन मेट्रिक टन आंकी गई है। इस क्षमता के सापेक्ष 2017-18 में समुद्री मात्स्यिकी से उत्पादन 3.69 मिलियन मेट्रिक टन (अनंतिम) दर्ज किया गया है। यह इंगित करता है कि समुद्री मत्स्य संसाधन अतिशोषित नहीं हैं।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'नीली क्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन' के अंतर्गत एक घटक 'समुद्री मात्स्यकी के विकास और पोस्ट हार्विस्ट परिचालन' मौजूद है, जिसके अंतर्गत राज्यों / संघ क्षेत्रों को मात्स्यिकी और इससे सम्बंधित बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, रु. 7,522.48 करोड़ की राशि की एक नई योजना 'मात्स्यिकी तथा जलकृषि अवसंरचना विकास निधि' (एफआईडीएफ) को 2018 -19 के दौरान प्रारंभ किया गया है।

(ग) से (ई) समुद्रतट के समीप मात्स्यिकी क्षेत्र में अधिक सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक परिणामों को प्राप्त करने के क्रम में मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार 'नीली क्रांति' योजना के अंतर्गत वभिन्न घटकों का क्रियान्वयन कर रहा है, जैसे कि पारंपरिक नावों का मोटरीकरण, एफ.आर.पी. नौकाओं की खरीद, संसाधन विशिष्ट मत्स्य नौकाओं के निर्माण, समुद्री मत्स्य-पालन (मैरीकल्चर) गतिविधियाँ, तट आधारित अवसंरचना सुविधाओं जैसे फ़िश लैंडिंग केंद्रों, बर्फ संयंत्रों, कोल्ड-स्टोरेज और मछली बाजारों का निर्माण आदि। इसके अतिरिक्त, मछुआरों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों जैसेकि बचत- सह - राहत, मछुवारों के लिए बीमा, मकानों के निर्माण, सामुदायिक हॉल आदि के निर्माण के लिये भी सहायता प्रदान की जाती हैं। नीली क्रांति योजना के माध्यम से मछुआरों की आर्थिक समृद्धि तथा जल संसाधनों में उपलब्ध संभावित क्षमता के सतत, धारणीय एवं पूर्ण उपयोग के द्वारा खाद्य और पोषण सुरक्षा में योगदान की दिशा में पूरा ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्र की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को लाभान्वित करने के लिए, भारतीय ईईजेड के समुद्री जीवित संसाधनों की पारिस्थितिक अखंडता और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हुये सतत एवं धारणीय रूप से उत्पादन सुनिश्चित करने के कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए "राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति 2017" को अधिसूचित किया गया है। यह नीति धारणीय विकास, मछुआरों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान, भागीदारी, सहायता का सिद्धांत, पीढीगत सहभागिता, तथा एहतियाती दृष्टिकोण पर आधारित है। संसाधनों की धारणीयता को सभी कार्यवाहियों के मूल में सखते हुये नीतिगत ढांचा राष्ट्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्यों, मछुवारा समुदाय के सामाजिक-आर्थिक उत्थान, तथा उनकी आजीविका में स्थिरता एवं देश मे समुद्री मात्स्यिकी के समन्वय और प्रबंधन के मार्गदर्शन को प्रस्तावित करता है।

*****